हुकम या कार्यवाही ...

अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिए वकील पेश होने पर पत्रावली रिकॉर्ड से तलब होकर पेश हुई। प्रस्तुत प्रा० पत्र में अंकित किया कि अपील सं० 206/2021 उनवानी खुवटी बनाम गमना देवी में न्यायालय द्वारा दिनांक 10-7-23 को निर्णय पारित किया गया था। पारित निर्णय में नामान्तकरण सं 945 के आगे ग्राम का नाम लिखने से रह गया। अतः न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में नामान्तकरण सं 945 के आगे ग्राम नीमकाथाना का नाम जोड़ा जावें।

वकील अपीलार्थीगण को सुना गया एवं दिनांक 10-7-23 को पारित निर्णय, व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 10-7-2023 को जो निर्णय पारित किया गया था जिसमे टाईप करते समय नामान्तकरण सं 945 के आगे ग्राम नीमकाथाना का नाम लिखने से रह गया। जो एक लिपीकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। जो सहवन छूट गया। जिसे दुरुस्त कर ग्राम का नाम जोड़ा जाना उचित प्रतीत होता

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा अपील सं 206/21 उनवानी सुवटी बनाम जमना देवी मे दिनांक 10-7-2023 को पारित निर्णय के अन्तिम पैरा की दूसरी लाईन मे ~~[illegible]~~ नामान्तकरण सं 945 के आगे ग्राम - नीमकाथाना का नाम लाल स्याही से अंकित कर दुरस्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
	(अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner